राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थाओ में ज्वाईनिंग की अंतिम तिथि बढाई

जयपुर, 12 मई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए सत्र 2024-25 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर विभागीय जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों की पात्रता एवं उनके आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों के सत्यापन/जॉच उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मुख्य मेरिट सूची जारी की जा चुकी है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु जारी की गई मुख्य मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी की SSO ID पर प्रदर्शित कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेन्टर पर अपनी सुविधानुसार कोचिंग संस्थान में दिनांक 11.05.2025 के स्थान पर दिनांक 18.05.2025 तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते है।

Ref No.: 15250860

Scanned with OKEN Scanner